रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032022-234250
CG-DL-E-16032022-234250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1146] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943
No. 1146] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2022

का.आ. 1186(अ).—यत:, मै. फीनिक्स टैक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व मे मै. फीनिक्स इम्बैसी टैक जोन प्राइवेट लिमिटेड), ने तेलंगाना राज्य के नानकरामगुड़ा गाँव, सेरिलिंगम्पल्ली मंडल, जिला रंगा रैड्डी में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 687(अ) दिनांक 22 फरवरी, 2017 एवं का.आ. 2179(अ) दिनांक 04 जुलाई, 2017 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 3.95 हेक्टेयर एवं 2.30 हेक्टेर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यत:, मै. फीनिक्स टैक जोन प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 0.469 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यत:, तेलंगाना सरकार ने पत्र संख्या 1325/आईटीई&सी/प्रोम/2016 दिनांक 07 जनवरी, 2021 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। तेलंगाना सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2021 के अनुसार, विकासकर्ता अवसंरचना के निर्माण के लिए अनधिसूचित भूमि का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और ऐसे अनधिसूचित क्षेत्र संबंधित राज्य सरकारों के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होंगे;

और, यतः, विकास आयुक्त, विसाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने 0.469 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.469 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 5.78 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	नानकरामगुड़ा	138(पी)	0.469
कुल			0.469
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			5.78

[फा. सं. एफ.1/18/2016-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2022

S.O. 1186(E).—WHEREAS, M/s. Phoenix Tech Zone Private Limited (formerly M/s. Phoenix Embassy Tech Zone Private Limited) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Nanakramguda Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, notified the areas of 3.95 hectares and 2.30 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 687(E) dated 22.02.2017 and S.O. 2179(E) dated 04.07.2017, respectively.

AND, WHEREAS, M/s. Phoenix Tech Zone Private Limited has now proposed for de-notification of 0.469 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its approval to the proposal vide letter No. 1325/ITE&C/Prom/2016 dated 07th January, 2021. The Developer committed to utilize the de-notified area for creation of infrastructure which would sub serve the objective of the SEZ as originally envisaged and such de-notified area will conform to land use guidelines/master plans of the respective State Governments as noted in the Government of Telangana's aforesaid letter dated 07th January, 2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.469 hectares of the above the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 0.469 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 5.78 hectares. The Survey number and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total Area (in Hectares)
1.	Nanakramguda	138(P)	0.469
Total area for deletion			0.469
Grand Total Area of SEZ after above deletion			5.78

[F. No. F.1/18/2016-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.16 22:28:44 +05'30'